	अध्याय – 1 **<u>प्रारंभिक</u>**	
	1. (1) इन नियमों को अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (जनजातीय परिषद) विनियम, 2009 कहा जा सकेगा । (2) इसका विस्तार निकोबार जिला में है, (शोम्पेन बन्दोबस्त क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है) और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र के निकोबारी बन्दोबस्त क्षेत्रों में भी इसका विस्तार है लेकिन अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम, 1994 का क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है । (3) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।	लघु शीर्ष विस्तार तथा प्रारंभ
	2. जब तक कि प्रसंग से अन्यथाः अपेक्षित न हो – (क) ''प्रशासक'' से संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है; (ख) ''सहायक आयुक्त'' से अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के तहत संबंधित उप मण्डलों में तैनात सहायक आयुक्त अभिप्रेत है और उप मण्डलीय मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट तथा निकोबार जिला के समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का परियोजना अधिकारी भी इसमें शामिल है; (ग) ''भवन'' में गृह, उप गृह, अस्तबल, शौचालय, पेशाबखाना, शेड, झोपड़ी, दीवार(सीमांकन दीवार जिसकी ऊँचाई 8 फीट से अधिक न हो, को छोड़ कर) और कोई अन्य निर्माण, चाहे पक्की चिनाई, ईंट, लकड़ी धातु या किसी अन्य सामग्री से बना हो लेकिन किसी समारोह या त्योहार के अवसर पर बनाया गया कोई निर्माण अथवा टेंट को छोड़कर, आदि शामिल हैं; (घ) ''चीफ कैप्टेन'' से धारा 53 की उपधारा (2) के तहत निर्वाचित एक द्वीप परिषद का चीफ कैप्टेन अभिप्रेत है; (ड.) ''उप चीफ कैप्टेन'' से धारा 58 की उप धारा (1) के तहत निर्वाचित द्वीप परिषद का उप चीफ कैप्टेन अभिप्रेत है; (च) ''उपायुक्त'' से निकोबार जिले का उपायुक्त अभिप्रेत है; (छ) ''जिला'' से इस विनियम में निकोबार जिला अभिप्रेत है	परिभाषाएँ